रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2001/आश्विन 9, 1923

No. 502] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2001/ASVINA 9, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 10/2001

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2001

सा. का. नि. 751 (अ).—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहरण)अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें) नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2001 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें) नियम, 1978 में :—

(i) नियम 3 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"यदि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या सेवा निवृत्त न्यायाधीश नहीं है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह प्रति मास 26,000 रु. (नियत) वेतन प्राप्त करेगा और ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन पाने वाले अधिकारियों को अनुज्ञेय है;

परन्तु यह कि यदि केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों [अर्थात् 26,000 रु.(नियत) वेतनमान वाले अधिकारी] के वेतनमान का पुनरीक्षण किया जाता है तो इस उपनियम में निर्दिष्ट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों को लागू पुनरीक्षित वेतनमान का हकदार होगा।

परन्तु यह और कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के समय सरकार के अधीन या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण में की गई अपनी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त कर रहा है तो, ऐसे वेतन मे से पेंशन और किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी।"

(ii) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सदस्यों के पारिश्रमिक, भत्ते आदि :—सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 22,400-525-24,500 रु. के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा और ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों को अनुज्ञेय है :

परन्तु यह है कि केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों (अर्थात् 22,400-525-24,500 रु. के वेतनमान वाले अधिकारी) के वेतनमान का पुनरीक्षण किया जाता है तो सदस्य के रूप में नियुक्त ऐसा व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों को लागू पुनरीक्षित वेतनमान का हकदार होगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के समय सरकार के अधीन या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण में की गई अपनी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे वेतन में से पेंशन और किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी।"

[फा. सं. ए-15015/1/2000-सीए]

डा. एम. सी. मेहानाथन, उप सचिव

टिप्पणी.—ये मुख्य नियमावली दिनांक 4 अगस्त, 1978 की सा.का.नि. सं. 395(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी तथा इसके बाद इनको दिनांक 15 नवम्बर, 1980 की सा.का.नि. सं. 1177, दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 की सा.का.नि. सं. 953(अ), दिनांक 8 अगस्त, 1987 की सा.का.नि. सं. 592(अ), दिनांक 24 नवम्बर, 1988 की सा.का.नि. सं. 950 दिनांक 24 जनवरी, 1994 की सा.का.नि. सं. 31(अ) तथा दिनांक 2 सितम्बर, 1998 की सा.का.नि. सं. 553(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Notification No. 10/2001

New Delhi, the 1st October, 2001

G.S.R. 751(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978,—

(i) in rule 3, for sub-rule (3) the following shall be substituted namely :—

"A person not being a serving Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court appointed as Chairman shall receive a pay of Rs. 26, 000 (fixed) per mensem and shall be entitled to draw such allowances as are admissible to the Central Government officers of equivalent pay :

Provided that if the pay-scale of the officers of the Central Government of equivalent pay [i.e., officers in the pay-scale of Rs. 26, 000 (fixed)] is revised, the person appointed as Chairman referred to in this sub-rule shall be entitled to the revised pay-scale applicable to the said officers of the Central Government of equivalent pay ;

Provided further that if such a person at the time of his appointment as Chairman is in receipt of a pension in respect of his previous service under the Government or any local body or authority owned or controlled by the Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits.";

(ii) for rule 4, the following shall be substituted, namely :—

"4. Remuneration, allowances, etc. of Members.— A person appointed as member shall receive pay in the scale of Rs. 22,400- 525- 24,500 and shall be entitled to draw such allowances as are admissible to the Central Government officers of equivalent pay:

Provided that if the pay-scale of the officers of the Central Government of equivalent pay (i.e., officers in the pay-scale of Rs. 22,400- 525- 24,500) is revised, the person appointed as member shall be entitled to the revised pay-scale applicable to the said officers of the Central Government of equivalent pay :

Provided further that if such a person at the time of his appointment as member is in receipt of a pension in respect of his previous service under the Government or any local body or authority owned or controlled by the Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits."

[F.No. A-15015/1/2000-CA]

DR. M.C. MEHANATHAN, Dy. Secy.

NOTE: The principal rules were published vide G.S.R. No. 395 (E) dated 4th August, 1978 and subsequently amended vide G.S.R. No. 1177 dated 15 November, 1980, G.S.R. No. 953 (E) dated 31st December, 1985, G.S.R. No. 592 (E) dated 8th August, 1987, G.S.R. No. 950 dated 24th November, 1988, G.S.R. No. 31 (E) dated 24th January, 1994 and G.S.R. No.553 (E) dated 2nd September, 1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.